भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 2474
दिनांक 16.03.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

शौचालयों हेतु निधि

2474. श्री हरि मांझीः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सुलभ अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन ने सरकार से शौचालयों के निर्माण हेतु वर्तमान राशि को 12000 रु॰ से बढ़ाकर 15000 रु॰ करने का निवेदन किया है ताकि बेहतर शौचालयों का निर्माण किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) और (ख) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एसबीएम (जी) का कार्यान्वयन, सुरक्षित स्वच्छता प्रथाओं को अपनाकर समुदायों में व्यवहारगत परिवर्तन पर बल देकर और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी शामिल करके जन आंदोलन के रूप में किया जा रहा है। यह एक आपूर्ति आधारित शौचालय निर्माण कार्यक्रम नहीं है। फिर भी, एसबीएम (जी) के अंतर्गत दिनांक 2 अक्टूबर 2014 से पात्र लाभार्थियों के लिए शौचालय के निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि को 10000 रुपए से बढ़ाकर 12000 रुपए कर दिया गया है। यह 12000 रुपए की प्रति शौचालय संबंधी राशि, शौचालय की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं है जो विभिन्न कारणों से इस प्रोत्साहन राशि से कम अथवा अधिक हो सकती है। खुले में शौच के उन्मूलन हेतु परिवारों को दिए जाने के लिए यह प्रोत्साहन राशि मात्र है।